न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 01/2023

1. श्रवण कुमार पुत्र भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील बिसाऊ, जिला झुंझुनू।
2. देवकरण पुत्र भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील बिसाऊ, जिला झुंझुनू।
3. ओमप्रकाश पुत्र भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील बिसाऊ, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट्स

—बनाम—

1. सुशीला पत्नी नरेन्द्र सिंह, जाति जाट निवासी दिलोई तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू, हाल पद स्थापित राजकीय प्राथमिक विधालय दिलोई तहसील बिसाऊ,जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंटस

प्रथम अपील अं0धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ, मु0नं0 01/2022 निर्णय दिनांक 05.12.2022 उनवानी श्रवण कुमार वगैरह बनाम सुशीला प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कदीमी प्रचलिति सुखाधिकार प्राप्त रास्ते को खुलवाने बाबत।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, एडवोकेट ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मन्दरूप सिंह, एडवोकेट ——————रेस्पोडेन्ट नंबर —1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ————रेस्पोडेन्ट नं.2 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 21.07.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.12.2022 उनवानी श्रवण कुमार वगैरह बनाम सुशीला प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 राज. काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को को खुलवाने के आदेश के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये [illegible] रेस्पोडेंट के विरूद्ध अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अं0 धारा 251 [illegible] काश्तकारी अधि0 1955 के तहत अपीलांट्स को सुखाधिकार प्राप्त कदीमी प्रचलित [illegible] रास्ते को खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि— [illegible] सन 1997 से खेत [illegible] कुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

बनाकर रह रहे हैं। भूमि गत खसरा नंबर 21 वाके ग्राम दिलोई में प्रार्थीगण के पिता भुदाराम व भुदाराम के भाई मालाराम की पैतृक संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की रही है। भुदाराम व मालाराम के मध्य उक्त भूमिका विधिवत विभाजन होने पर भूमि गत खसरा नंबर 21/2 मालाराम के हिस्से में आई जिसके वर्तमान खसरा नंबर 29 व 30 वाके ग्राम दिलोई कायम हुये व गत खसरा नंबर 21 की भूमि प्रार्थीगण के पिता भुदाराम के हिस्से में आई। मालाराम के पुत्र नन्दलाल व पुत्री तीजा देवी ने मालाराम के हिस्से में आई भूमि हाल खसरा नंबर 29, 30 में से 1/4 हक हिस्से की भूमि का बेचान वर्ष 2014 में अख्तर अली पुत्र मोहम्मद अली निवासी वार्ड नंबर 44 पीपली चौक झुंझुनू को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र किया था। विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 4 में बेची गई भूमि में से रास्ता 10 फीट का छोड़े जाने की लिखावट की गई थी। क्रेता अख्तर अली ने खरीदी हुई भूमि का बेचान अप्रार्थी सुशीला को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2021 को बेचान कर दिया। उक्त विक्रय पत्र की मद संख्या 7 में विक्रय की गई भूमि में से 10 फीट का रास्ता उक्त 2.23 हैक्टर भूमि के दक्षिणी सीमा के साथ–साथ होता हुआ दिलोई बिरमी रोड से देवकरण गोदारा के खेत तक जाने की लिखावट है। विक्रय पत्र में भी रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष भूमि का बेचाान किया जाना लिखा गया है। प्रार्थीगण के पिता भुदाराम के हिस्से में आई जमीन गत खसरा नंबर 21/1 के वर्तमान खसरा नंबर 35, 36 व 40 कायम हुये। प्रार्थीगण के उक्त वर्तमान खसरा नंबर 34, 35, 36, 37, 38 व 44 की भूमि मालाराम की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित है। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में संयुक्त खातेदारी के समय से ही आने जाने के लिये कदीमी प्रचलित रास्ता प्रचलन में रहा है जिसको प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण व उसके परिवारजन ने दिनांक 22.06.2022 को रास्ते को बंद किया है। दिनांक 22.06.2022 को प्रार्थीगण के खेतों के लिये ग्राम दिलोई से बिरमी सडक से प्रचलित कदीमी रास्ते को अप्रार्थी ने रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये गेट को उखाड़ दिया व रास्ते की तारबन्दी कर बन्द कर दिया। प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा बन्द किये गये प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के पुश्तैनी खेतों में से पुश्तैनी रूप से प्रचलित कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग से प्राप्त सुखाधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। अप्रार्थी को प्रार्थीगण के कदीमी प्रचलित पुश्तैनी रास्ते से प्रार्थीगण को आवागमन करने के सुखाधिकार को बाधित करने का कोई कानूनी हक नहीं है। प्रार्थीगण का कदीमी प्रचलित रास्ता खुलवाया जाना न्यायोचित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय में स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण करने का तथ्य अंकित है, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं के मौका निरीक्षण की कोई रिपोर्ट बनाकर पत्रावली में पेश नहीं हुई है। अपीलांट्स द्वारा भू–अभिलेख बिरमी व पटवारी हल्का दिलोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.7.2022 व दिनांक 17.11.2022 पर दोनों बार आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। अपीलान्टस द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि –गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा एक पक्षीय रूप से दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनूं

मौका रिपोर्ट पर रास्ता बन्द करने के स्थान के आगे प्रार्थीगण के खेत में मौजुद पुराना रास्ता की रिपोर्ट जानबूझकर बनाकर पेश नहीं की गई है। प्रार्थीगण के खेत सींव पर लोहे का गेट है तथा आगे प्रार्थीगण के घर तक रास्ता मौजुद है। अपीलांट्स ने अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 05.12.2022 को दूसरा आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों बाबत निवेदन किया गया था कि पीठासीन अधिकारी स्वयं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पक्षकारान अथवा उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में तैयार कर प्रकरण में पारित करें जिससे अपीलांटस के साथ उचित न्याय निर्णय होगा। लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं को बिना तय किये ही निर्णय दिनांक 05.12.2022 पारित कर दिया। अदालत मातहत ने अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शासीट, पुलिस थाना बिसाऊ में दर्ज करवायी गई शिकायत, विक्रय पत्र वर्ष 2014 व विक्रय पत्र वर्ष 2021 में उक्त विवादित रास्ते के बाबत मौजुदा दस्तावेजी ठोस साक्ष्य होने के बावजूद बिना दस्तावेजी साक्ष्य की न्यायिक विवेचना किये आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजात की निर्णय में न्यायिक विवेचना नहीं की गई। जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

अपीलांटस का का कथन है कि अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट द्वारा सुझाया गया वर्तमान रास्ता जो गत 4–5 वर्ष पूर्व कटानी दर्ज हुआ है, जो ग्राम दिलोई से खेतों की ओर जाता है, उक्त रास्ते से अपीलांटस द्वारा स्वयं के खेतों में आवागमन करने पर जिस सीमा पर रास्ता बंद कर रखा है उस सीमा से एक किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाने पर ग्राम दिलोई आता है तथा उक्त ग्राम दिलोई से चलने पर अपीलांटस के खेतों में पंहुचने की दूरी करीब डेढ किलोमीटर है। रेस्पोडेन्ट द्वारा सुझाया गया उक्त रास्ता टिलों पर स्थित है जिससे आवागमन किया जाना अपीलांटस अपीलांटस के लिए कतई सुगम नहीं है तथा अपीलांटस के खेतों में जाने की दूरी ढाई किलोमीटर है। अपीलान्टस कदीमी रूप से करीब 25 वर्षों पूर्व से प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित रास्ते का उपयोग सुखाधिकार में बाधा डालने व प्रचलित रास्ते को बंद करने का कानूनी हक रेस्पोडेन्ट को नहीं है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलांटस का रास्ता खुलवाया जाने के सीन पर अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिजकर पूर्णतया अविधिक एव त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टस की भूमि खसरा नंबर 32, 34, 35, 36, 37, 38 व 44 ग्राम दिलोई के कदीमी प्रचलित रास्ते हाल खसरा नंबर 29 ग्राम दिलोई के विभाजित खसरा नंबर 434/29 व खसरा नंबर 30 की दीवार के सहारे–सहारे 10 फीट की चौड़ाई में ग्राम दिलोई से बिरमी जाने वाली सड़क तक रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– भूमि गत खसरा नंबर 21 वाके ग्राम दिलोई में प्रार्थीगण के पिता भुदाराम व भुदाराम के भाई मालाराम की पैतृक संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की रही है। भुदाराम व मालाराम के मध्य उक्त भूमिका विधिवत विभाजन होने पर भूमि गत खसरा नंबर 21/2 मालाराम के हिस्से में आई जिसके वर्तमान खसरा नंबर 29 व 30 वाके ग्राम दिलोई कायम हुये व गत खसरा नंबर 21 की भूमि प्रार्थीगण के पिता भुदाराम के हिस्से में आई। मालाराम के पुत्र नन्दलाल व पुत्री तीजा देवी ने मालाराम के हिस्से में आई भूमि हाल खसरा नंबर 29, 30 में से 1/4 हक हिस्से की भूमि का बेचान वर्ष 2014 में अख्तर अली पुत्र मोहम्मद अली निवासी वार्ड नंबर 44 पीपली चौक झुंझुनू को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र किया था। विक्रय पत्र के पृष्ठ संख्या 4 में बेची गई भूमि में से रास्ता 10 फीट का छोड़े जाने की लिखावट की गई थी। क्रेता अख्तर अली ने खरीदी हुई भूमि का बेचान अप्रार्थी सुशीला को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2021 को बेचान कर दिया। उक्त विक्रय पत्र की मद संख्या 7 में विक्रय की गई भूमि में से 10 फीट का रास्ता उक्त 2.23 हैक्टर भूमि के दक्षिणी सीमा के साथ–साथ होता हुआ दिलोई बिरमी रोड से देवकरण गोदारा के खेत तक जाने की लिखावट है। विक्रय पत्र में भी रास्ते की भूमि को छोड़कर शेष भूमि का बेचाान किया जाना लिखा गया है। प्रार्थीगण के पिता भुदाराम के हिस्से में आई जमीन गत खसरा नंबर 21/1 के वर्तमान खसरा नंबर 35, 36 व 40 कायम हुये। प्रार्थीगण के उक्त वर्तमान खसरा नंबर 34, 35, 36, 37, 38 व 44 की भूमि मालाराम की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित है। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में संयुक्त खातेदारी के समय से ही आने जाने के लिये कदीमी प्रचलित रास्ता प्रचलन में रहा है जिसको प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण व उसके परिवारजन ने दिनांक 22.06.2022 को रास्ते को बंद किया है। दिनांक 22.06.2022 को प्रार्थीगण के खेतों के लिये ग्राम दिलोई से बिरमी सडक से प्रचलित कदीमी रास्ते को अप्रार्थी ने रास्ते पर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये गेट को उखाड़ दिया व रास्ते की तारबन्दी कर बन्द कर दिया। प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा बंद किये गये प्रार्थीण के संयुक्त खातेदारी के पुश्तैनी खेतों में से पुश्तैनी रूप से प्रचलित कदीमी रास्ते के उपयोग उपभोग से प्राप्त सुखाधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा निर्णय में स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण करना अंकित है, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं के मौका निरीक्षण की कोई रिपोर्ट तैयार कर पत्रावली में पेश नहीं हुई है। अपीलांटस द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक बिरमी व पटवारी हल्का दिलोई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.7.2022 व दिनांक 17.11.2022 पर दोनों बार आपत्ति प्रस्तुत की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टस द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपति इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि –गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा एक पक्षीय रूप से दोनों मौका रिपोर्ट पर रास्ता बन्द करने के स्थान के आगे प्रार्थीगण के खेत में मौजुद पुराना रास्ता की रिपोर्ट जान बूझकर बनाकर पेश नहीं की गई है। प्रार्थीगण के खेत सींव पर लोहे का गेट है तथा आगे प्रार्थीगण के घर तक रास्ता मौजुद है। अपीलांट्स ने अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 05.12.2022 को दूसरा आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त तथ्यों बाबत निवेदन किया गया था कि पीठासीन अधिकारी स्वयं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पक्षकारान अथवा उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में तैयार कर प्रकरण में पारित करें जिससे अपीलांटस के साथ उचित न्याय निर्णय होगा। लेकिन अदालत मातहत ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं को बिना तय किये ही निर्णय दिनांक 05.12.2022 पारित कर दिया। अदालत मातहत ने अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शासीट, पुलिस थाना बिसाऊ में दर्ज करवायी गई शिकायत, विक्रय पत्र वर्ष 2014 व विक्रय पत्र वर्ष 2021 में उक्त विवादित रास्ते के बाबत मौजुदा दस्तावेजी ठोस साक्ष्य होने के बावजूद बिना दस्तावेजी साक्ष्य की न्यायिक विवेचना किये आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजात की निर्णय में न्यायिक विवेचना नहीं की गई। अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट द्वारा सुझाया गया वर्तमान रास्ता जो गत 4–5 वर्ष पूर्व कटानी दर्ज हुआ है, जो ग्राम दिलोई से खेतों की ओर जाता है, उक्त रास्ते से अपीलांटस द्वारा स्वयं के खेतों में आवागमन करने पर जिस स्थान पर रास्ता बंद कर रखा है उस स्थान से एक किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाने पर ग्राम दिलोई आता है तथा उक्त ग्राम दिलोई से चलने पर अपीलांटस के खेतों में पंहुचने की दूरी करीब डेढ किलोमीटर है। रेस्पोडेन्ट द्वारा सुझाया गया उक्त रास्ता टिलों पर स्थित है जिससे आवागमन किया जाना अपीलांटस अपीलांटस के लिए कतई सुगम नहीं है तथा अपीलांटस के खेतों में जाने की दूरी ढाई किलोमीटर है। अपीलान्टस कदीमी रूप से करीब 25 वर्षों पूर्व से प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित रास्ते का उपयोग सुखाधिकार में बाधा डालने व प्रचलित रास्ते को बंद करने का कानूनी हक रेस्पोडेन्ट को नहीं है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलांटस का रास्ता खुलवाया जाने के स्थान पर अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिज कर पूर्णतया अविधिक एव त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कया गया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टस की भूमि खसरा नंबर 32, 34, 35, 36, 37, 38 व 44 ग्राम दिलोई के कदीमी प्रचलित रास्ते हाल खसरा नंबर 29 ग्राम दिलोई के विभाजित खसरा नंबर 434/[illegible] खसरा नंबर 30 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 10 फीट की चौड़ाई में ग्राम [illegible] से बिरमी जाने वाली सड़क तक रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए कटानशुदा रास्ता है इसलिए प्रार्थी अपीलांट्स को दूरी के आधार पर सुखाधिकार प्राप्त नहीं होता। मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है संयुक्त खातेदारी की भूमि है विभाजन में राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है, इसलिए तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जहां तक प्रचलित रास्ते का संबंध है तहसीलदार बिसाऊ एवं हल्का पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है। मूल खसरा नंबर 29, 30, 31 का विभाजन होने पर मूल खसरा नंबर 29, 30 के दक्षिण दिशा में खातेदार सुशीला का कब्जा काश्त बताया गया है। प्रार्थी अपीलांट के अनुसार विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 049 दिनांक 15.12.2014 व विक्रय दिनांक 27.10.2021 में मूल खसरा नंबर 29 के दक्षिण दिशा में वर्णित रास्त राजस्व रेकार्ड नक्शा शीट में कटानी रास्ता दर्ज नहीं है तथा ना ही मौके पर रास्ता चालू होने के कोई निशानात पाये गये है तथा मूल खसरा नंबर 29, 30, 31 के पश्चिम दिशा में चिपते प्रार्थीगण/अपीलांट्स श्रवण, ओमप्रकाश व देवकरण के मूल खसरा नंबर 38, 36, 35 व 44 में से होकर ग्राम दिलाई से आगे खेतों की ओर कटानी रास्ता राजस्व रिकार्ड खसरा नंबर 400/35, 402/36, 404/38, 406/44 किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज है जो नक्शा शीट में भी दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर चालू होना बताया गया है। प्रार्थीगण/अपीलांटस ने भी केवल पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर रास्ते की मांग की है। अपीलांट द्वारा भी यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रचलित रास्ता किस गांव से शुरू होकर कहां जाता है जिसको अप्रार्थी द्वारा बंद कर दिया गया हो। विवादित रास्ता केवल संयुक्त खातेदारी भूमि में होने का विवाद है। प्रार्थीगण/अपीलांटस के खेत में जाने के लिए राजस्व रिकार्ड खसरा नंबर 400/35, 402/36, 404/38, 406/44 किस्म गैर मु0 रास्ता उपलब्ध है। मेरी राय में जब कोई वैकल्पिक रास्ता हो और दूरी के आधार पर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स द्वारा पूर्व में प्रचलित रास्ता होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य फोटो आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जहां तक पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित रास्ते का प्रश्न है इस संबंध में अपीलांट्स सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा प्र0 नं0 01/2022 में पारित निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

दिनांक 05.12.2022 उनवानी श्रवण कुमार वगैरह बनाम सुशीला प्रार्थना पत्र अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम 1955 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:04 IST
Reason: SelfAttested